

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर  
क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/15697 दिनांक:- 30/8/18  
-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फायरमैन एवं सफाई सेवा वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	ममता	फायरमैन	श्रीगंगानगर	लोसल
2	श्री करण कुमार तम्बोलिया/श्री प्रकाश तम्बोलिया	सफाई कर्मचारी	सांभर	अलवर
3	श्री राजू/श्री रामनारायण	सफाई कर्मचारी	सांभर	अलवर
4	श्री मनोज पंवार	सफाई कर्मचारी	सांभर	पाली
5	श्री कानाराम/श्री लाला	सफाई कर्मचारी	सांभर	मकराना
6	श्री मुकेश /श्री रामरखा	सफाई कर्मचारी	सांभर	खण्डेला
7	श्री फकीर चन्द/श्री मिट्टू	सफाई कर्मचारी	सांभर	खण्डेला
8	श्री रजनीश/श्री केदार	सफाई कर्मचारी	सांभर	अजमेर
9	श्री धीरज/श्री सुरेश	सफाई कर्मचारी	सांभर	जयपुर
10	श्री सुनील /श्री रामनारायण	सफाई कर्मचारी	सांभर	जयपुर
11	श्री अवधेश/श्री धनराज	सफाई कर्मचारी	सांभर	मकराना
12	श्री अजय/श्री बालकिशन	सफाई कर्मचारी	सांभर	अजमेर
13	श्री नितेश/श्री धनराज	सफाई कर्मचारी	सांभर	बाडमेर
14	श्री दीपक/श्री राजेश	सफाई कर्मचारी	सांभर	विजयनगर (अजमेर)
15	श्रीमती गीता/श्री बिरमाराम	सफाई कर्मचारी	बलोतरा	जोधपुर
16	श्री सुराज/श्री जगदीश	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	जोधपुर
17	मोनिका/श्रीकांत	सफाई कर्मचारी	सांचौर	बाडमेर
18	श्रीमती राधा/श्री चेतन्य पचेरवाल	सफाई कर्मचारी	रावतभाटा	कोटा
19	श्रीमती अनिता/श्री चन्दन कुमार	सफाई कर्मचारी	रावतभाटा	बून्दी
20	श्री शेरूलाल /श्री राजेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	बाडमेर	बलोतरा
21	श्री पारसा/श्री घीसा	सफाई कर्मचारी	भीनमाल	सांचौर

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त कार्यमुक्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाये।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जाये।
6. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

  
(पवन अरोडा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/15698-783 दिनांक:- 30/8/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/भरतपुर/कोटा  
/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी/नगर निगम/परिषद/  
पालिका.....।
6. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(विरेंद्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)